प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी

सेवा मे,

प्रबन्धक,

1. श्री हरिशरण सिंह प्राइमरी विद्यालय, कनैली, वि० क्षे० कौशाम्बी।
2. डी० पी० मेमोरियल पब्लिक स्कूल, करन चौराहा, वि० क्षे० नेवादा।
3. नवदुर्गा प्राइमरी विद्यालय, कोइली का पूरा, पूरब शरीरा, कुम्हियांवां, वि० क्षे० सरसवां।
4. श्री लल्लू सिंह प्राइमरी विद्यालय, करनपुर, सौरई, वि० क्षे० सिराथू।
5. स्वामी चेतनानन्द प्राइमनी विद्यालय, कसिया पश्चिम, वि० क्षे० सिराथू।
6. गंगा देवी देशराज शिशु शिक्षा निकेतन प्राइमरी विद्यालय, कसिया पश्चिम, वि० क्षे० सिराथू।
7. वन्दना प्राइमरी विद्यालय, बहादुरपुर, ओसा, वि० क्षे० मंझनपुर।
8. श्री मेवा लाल प्राइमरी विद्यालय, कल्यानपुर, बम्हरौली, भरवारी, वि० क्षे० सिराथू।
9. डा० आर० के० सिंह पटेल, प्राइमरी विद्यलाय, अनेठा, वि० क्षे० सिराथू।
10. सम्पत पासी प्राइमरी विद्यालय, रेही, वि० क्षे० नेवादा।

पत्रांक–मान्यता / 4011–9 / 2003–04 दिनांक मई 17-5-2003

विषय :– अस्थाई मान्यता (प्राइमरी 1 से 5 तक) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या 2042 / 15–5–10 एस०(9)97 दिनांक 3–5–81 सपठित राजाज्ञा संख्या 230 / 15–5–96–8 एस०(7) दिनांक 18–1–96 राजाज्ञा संख्या 984 / 15–6–90–18 एस०(7) 89 दिनांक 28 अप्रैल 98, राजाज्ञा संख्या 1073 / 15–6–90–18एस०(7) / 89 दिनांक 10 सितम्बर 98 में निहित निर्देशानुसार / प्राविधानानुसार मान्यता समिति के बैठक दिनांक 17 / 5 / 03 के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) की अस्थाई मान्यता निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है / यदि विभागीय नियमों / शर्तों / शासनादेशों का पालन नहीं किया जाता तो आपके विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

शर्तें

1. संस्था पंजीकृत एवं नवीनीकृत हो।
2. सुरक्षित कोष एवं प्राभूत कोष के लिए रु० 1000 / – एवं रु० 2500 / – बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद नाम से बन्धक हो।
3. विद्यालय में निर्धारित माप 20x20 फिट के 5 कमरे हों। इसके साथ एक प्रधान अध्यापक कक्ष एवं एक भण्डार कक्ष होना चाहिए।
4. विद्यालय के लिए निजी भूमि / 10 वर्ष का भवन किराये का नोटरी अनुदान पत्र भी मान्य है।
5. प्राइमरी स्तर की कम से कम 250 रु० की पुस्तक होनी चाहिए।
6. विद्यालय में सभी अध्यापक प्रशिक्षित हों।
7. अध्यापकों को निर्धारित वेतन दिया जा रहा हो।
8. विद्यालय में कम से कम 500 रु० की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए।
9. छात्र / छात्राओं द्वारा विभागीय निर्देशानुसार शुल्क ली जा रही हो।
10. विद्यालय में अवैध कक्षाएं संचालित न हों।
11. विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाय।
12. विद्यालय में क्रीड़ा स्थल होना चाहिए।
13. समय–समय पर निर्धारित विभागीय आदेशों / शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(अशोक कुमार)
बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी 17/5/03

कृ० पृ० उ०

पृ० सं० मान्यता / ५८५-९ / 2003-04 तद दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव बे०, शि० प० उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) चतुर्थ मण्डल इलाहाबाद
3. उप बे० शि० अ०, कौशाम्बी
4. सम्बन्धित स० बे० शि० अ०, कौशाम्बी

(अशोक कुमार)
बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी 17/5/03

140/4

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
डी0पी0मेमोरियल, पू0मा0वि0, करन चौराहा, सरॉयअकिल, ,कौशाम्बी।

पत्रांक: शि0स0/ 8741-48 /2008-2009 दिनांक 07/02/09

विषय : **अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी से प्राप्त आवेदन पत्र निरीक्षण आख्या एवं अन्य आवश्यक पत्रजातो पर शासनादेश संख्या 646/15-8-97-18 एस(7)/89 दिनांक 13 अगस्त, 97 में उल्लिखित प्राविधानों/शर्तो के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की संस्तुति एवं मण्डलीय सम्भागीय मान्यता समिति के निर्णय/संस्तुति पर निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ आप की संस्था/समिति **श्री भानुसिंह सेवा संस्थान, ग्राम घोसिया, पो0.सरायअकिल, कौशाम्बी** द्वारा संचालित विद्यालय डी0पी0मेमोरियल पू0मा0वि0 करन चौराहा,सरॉयअकिल ,कौशाम्बी को (जूनियर हाई स्कूल स्तर की) कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता ("ब" श्रेणी) आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

विद्यालय में कुल तीन वर्ग ही मान्य होगें। अतिरिक्त उपवर्गो को संचालित करने हेतु नियमानुसार अनुमति विभाग से प्राप्त करनी होगी। विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित कुल पांच प्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त शिक्षक, एक लिपिक तथा एक अनुचर वर्तमान मानक के अनुसार मान्य होगें।

विभागीय आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गयी मान्यता को वापस लेने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्धः

1 विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा (प्राइमरी स्तर की) कदापि न दी जाय और न ही किसी प्रकार की अवैधानिक कक्षायें संचालित की जाय।

2 विद्यालय में मान्यता आदेश निर्गत के पश्चात उ0प्र0 मान्यता प्राप्त शिक्षक सेवा नियमावली 1978 एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियमावली 1984 के अन्तर्गत शिक्षक/कर्मचारी के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण की जायं तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायं।

3- विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जायेगा।

4- विद्यालय में विभागीय नियमों/निर्देशों/आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता आदि में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

5- विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान, महगाई भत्ता आदि का भुगतान किया जाय जो परिषद के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है। इनका भुगतान बैंक में खाता खोलकर बैंक के माध्यम से उनके खाते में अन्तरण द्वारा किया जाय। उलंघन की दशा में तत्काल मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

6- विद्यालय में विज्ञान शिक्षक की नियुक्ति स्वीकृत शिक्षकों के पदों में से एक पर नियमानुसार की जाय।

7- क्रीडाक्षेत्र एवं प्रांगण को चारों ओर से समतल कराया जाय तथा चारो ओर वृक्षारोपण कराया जाय।

8 विद्यालय के छात्र/छात्राओं से निर्धारित शुल्क(परिषदीय विद्यालयों की भांति) ही लिया जाय। समस्त शुल्कों को बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलकर जमा किया जायं तथा पासबुक व पंजिकायें सदैव विद्यालय में सुरक्षित रखी जाय, जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी देखा जा सके।

9- भवन में जिन कक्षों की छत लिन्टर्ड नहीं है,उन्हें यथाशीघ्र पक्की छत में परिवर्तन कराया जाय।

10 शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम-1994 के अन्तर्गत आरक्षण कोटे का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाय।

भवदीय

(अजय कुमार सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)
इलाहाबाद मण्डल ,इलाहाबाद।

पृ0सं0/शि0स0/ /2008-2009 दिनांक उक्तवत,

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 सचिव, उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3 संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
4 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।
5 जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक अधिकारी, कौशाम्बी।
6 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी वि0ख. नेवादा, कौशाम्बी।
7 कार्यालय पत्रावली हेतु।

(अजय कुमार सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)
इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद।